विचार बिन्दु

संतोष का वृक्ष कड़वा है लेकिन इस पर लगने वाला फल मीठा होता है। –स्वामी शिवानंद

जर्जर होती शासन व्यवस्था

प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में पूरे देश में पुल ध्वस्त होने, भवन ढहने और सड़क टूटने के समाचार निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। जिस नियमितता से ये समाचार प्रकाशित होते हैं और जिस प्रकार सैकड़ों व्यक्तियों की जान इनके कारण जाती है, उसको पढ़कर अब तो कोई विचलित भी नहीं होता। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे लगता है, इस देश में इंसान के जान की कोई कीमत ही नहीं है। कई पुल तो ऐसे हैं जो उद्घाटन से पहले ही टूट गए। झालावाड़ के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में तो पांच बच्चे छत गिरने से दब कर मर गए।

खंडहर होते सरकारी भवन, उद्घाटन से पहले टूटे हुए पुल और गड्ढों से भरी सड़कें तो केवल लक्षण मात्र हैं। इस स्थिति पर गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि देश की शासन व्यवस्था को ही घुन लग गया है, अथवा यों कहें कि वह ध्वस्त हो गई है, तो गलत नहीं होगा। जिस व्यवस्था का काम नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करते हुए उनके हित संवर्धन की है, वही इसके विपरीत काम करते हुए दिखाई देती है। इसे सही तरह समझने के लिए कुछ सरकारी विभागों की कार्य विधि का विश्लेषण करना उचित होगा।

बढ़ते शहरीकरण की समस्याओं में अवैध अतिक्रमण और ट्रैफिक समस्या सबसे अधिक कष्टदायक है। जयपुर का ही उदाहरण लें। यहां न ट्रैफिक व्यवस्था है ना पार्किंग की व्यवस्था। इसके बावजूद यदि कोई दुर्घटना यहां पर नहीं होती है तो वह केवल गोविंद देव जी की कृपा के ही कारण है। ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती होने पर भी वहां तेजी से दुपहिया और चार पहिया वाहन सरपट निकल जाते हैं। मिनी बसों के तो हालात और अधिक खराब हैं। बसें, बस स्टॉप पर कम और चौराहों पर बीच सड़क अधिक रूकती हैं। इसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है। ट्रैफिक के सिपाही, जिनकी जिम्मेदारी ट्रैफिक को नियमित करने की है, वे केवल राज्य के बाहर की गाड़ियों को रोककर उनसे वसूली करने में अधिक रुचि लेते हैं। जयपुर शहर चौड़ी सड़कों के लिए विख्यात रहा है, लेकिन आजकल अधिकांश सड़कों का 30% भी यातायात के लिए उपलब्ध नहीं है। शेष पर या तो अवैध पार्किंग है या दुकानदार अपना सामान फैला कर रखते हैं। पैदल चलने वालों के लिए तो लगता है, जयपुर शहर बचा ही नहीं है। इस विषय पर इसी स्तंभ में सोमवार को दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल ने बहुत अच्छी तरह से वस्तु स्थिति को पाठकों के सामने विस्तार से प्रस्तुत किया है।

शराब की दुकानें रात्रि आठ बजे बाद नहीं खुल सकती हैं किंतु अनेक स्थानों पर आगे-पीछे के दरवाजों से जब चाहें तब मदिरा बिक्री हेतु उपलब्ध है। जिनकी जिम्मेदारी है वे शायद इसी कारण अपनी 'समृद्धि' बढ़ा रहे हों।

चरमराती शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो पहले भी मैंने अपने संपादकीय में कई बार लिखा है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रशासन की कुंभ करणी नींद उड़ती ही नहीं है। एक ओर जहां शिक्षा विभाग के अधिकारी स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के काम में रोड़े लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं सरकार के खुद के विद्यालयों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हजारों विद्यालय सरकार के ऐसे हैं जहां न खेल के मैदान हैं न शौचालय। इनमें से कई तो हैं जो थोड़ी सी बारिश में टूट कर गिरने के कगार पर हैं।

शहर में घूमते आवारा पशु, नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल प्रतिदिन खोलते हैं। ये किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हाल ही में जब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आवारा कुत्तों को सड़क से हटाकर शेल्टर होम में डालने का आदेश दिया तो कई 'कुत्ता प्रेमी' संगठनों ने इस पर सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। यह अच्छी बात है कि हम प्राणी मात्र की परवाह करें किंतु उससे पहले आवश्यक है कि हमारे नागरिकों, जिनमें छोटे बच्चे भी हैं, को आवारा कुत्तों के आक्रमण से बचाया जाय। गाय, जिसे हम माता मानते हैं, किंतु उन्हें सड़क पर आवारा छोड़ देने में कतई संकोच नहीं करते। आप जयपुर मे कहीं भी चले जाएं, ट्रैफिक सिग्नल पर पर बाईं ओर मुड़ने वालों का रास्ता नहीं छोड़ा जाता। शहर में बढ़ते वाहनों के अनुपात में न तो फ्लाईओवर बने हैं एवं न ही फुटपाथ की व्यवस्था हुई है। सरकार ने बिना सोचे समझे भूमिगत मार्ग बनाए जिन पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद वे काम नहीं आते हैं जैसे अजमेरी गेट और जवाहर सर्किल पर। इन भूमिगत पैदल मार्गों पर कोई व्यक्ति कभी जाते हुए दिखाई नहीं दिया। ये सब अंधेरे के कारण असामाजिक तत्वों के अड्डे बनकर रह गए हैं। इनको बनाने वालों पर व्यवस्था ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

अनेक नदी नालों को अवरूद्ध कर उन पर अवैध निर्माण कार्य कर लिए गए किंतु किसी को जिम्मेदार मानकर सजा दी गई हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। थोड़ी सी बारिश से जयपुर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। इनमें गिर कर अनेक लोग मर गए या घायल हो गए, किंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बी 2 बाईपास से शिप्रा पथ पर ही चले जाएं तो खड्डों के कारण वाहन चलाना लगभग असंभव है, जबकि यह सड़क इसी वर्ष नई बनी थी। क्या नगर निगम और जेडीए एक काम नहीं कर सकते कि जो भी सड़क बने उस पर अधिकारी और ठेकेदार का नाम मय तिथि के स्पष्ट सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लिखे जाएं? ऐसा करने पर किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करना सरकार के लिए सरल होगा और जनता भी इस हेतु दबाव बना पाएगी।

यह सर्व विदित सत्य है कि किसी भी शासकीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सबसे आवश्यक है अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें तत्काल, उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए सजा दी जाए। जब ऐसा होता नहीं दिखाई देता है तो अधिकांश कर्मचारी, अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं जिसका खामियाजा एक साधारण नागरिक को ही भुगतना पड़ता है।

सरकार को एक आदेश तो तत्काल जारी कर ही देना चाहिए कि कोई भी पुल, भवन या सड़क जब भी बने, तो उस पर बनने की अवधि और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो। सरकार कोई कार्रवाई न करे तो जनता उस पर दबाव बना कर कार्यवाही करने हेतु उसे बाध्य कर सके। अंततः, लोकतंत्र में जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है और उसकी ताकत तभी काम आ सकती है जब व्यवस्था में पारदर्शिता हो। दुर्भाग्य से हमारी पूरी व्यवस्था अपारदर्शी बनकर रह गई है। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार कानून 2005 में लाया गया था। इस कानून को गत दस बारह साल में बिल्कुल निष्प्रभावी - सा कर दिया गया है। धीरे-धीरे, कई प्रकार की सूचनाएं इसके दायरे से बाहर कर दी गई हैं जैसे न्यायाधीशों की संपत्ति, प्रधानमंत्री केयर फंड का खर्चा आदि आदि। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया जिसके द्वारा प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने का आदेश दिया गया था। पारदर्शिता का तकाजा था कि प्रधानमंत्री स्वयं आगे बढ़कर अपनी डिग्री को सार्वजनिक करते, जिससे आशंकाएं समाप्त हो सकती थीं। काश, ऐसा हो पाता! दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था की अपारदर्शिता पर एक प्रकार से मुहर ही लगा दी है।

न्यायाधीशों ने तो पहले ही अपने आप को सूचना के अधिकार कानून से बाहर कर दिया था। सबसे अधिक अपारदर्शी तो हमारी न्यायिक व्यवस्था हो गई है। कोलेजियम की प्रक्रिया अत्यंत अपारदर्शी है। हाल ही में न्यायाधीश पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है जबकि तीन माह पहले ही इन्हें इसके लिए उपयुक्त नहीं माना गया था। इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सरकार ने नेशनल ज्यूडिशल अकाउंटेबिलिटी कानून बनाया था जिसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना था। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया।

सरकारी विभागों में तो किसी अधिकारी द्वारा गलत निर्णय के कारण यदि सरकार को कोई हानि होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए अनुचित और गलत आदेश को ऊपर के न्यायालय द्वारा बदल तो दिया जाता है किंतु अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध कोई कार्यवाही इस आधार पर नहीं की जाती है। ऐसा क्यों? हाल ही में मुंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश सर्वेश्वर ठाकुर के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से यह अंकित किया कि "उनके निर्णय समझ से बाहर हैं एवं यह अच्छा है कि वे सेवा निवृत्त हो गए हैं"। प्रश्न यह है कि 7 वर्ष तक ये न्यायाधीश उच्च न्यायालय में बैठकर ऐसे निर्णय कैसे देते रहे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने खराब माना? लगभग 5 करोड़ मुकदमे आज विभिन्न स्तर के न्यायालयों में लंबित हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार आदेश दिए जाने के बावजूद भी अभी तक अधिकांश निर्णय बहुत लंबे, जटिल एवं अस्पष्ट होते हैं। क्या सरल, स्पष्ट भाषा में संक्षिप्त निर्णय देना न्यायाधीशों के लिए असंभव है? इस बारे में न्यायिक प्रशासन में लगे लोगों को आमूल चूल परिवर्तन करने पर विचार करना चाहिए ताकि न्यायालय के निर्णय की भाषा सरल, स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो सके। यदि ऐसा हो पाया तो न्यायालय के विभिन्न चरणों में जो वर्षों का विलंब होता है उसे कम किया जा सकेगा। न्यायालय में पहुंचना किसी नागरिक के लिए अंतिम विकल्प होता है और वहां भी यदि दो-तीन पीढ़ियों तक न्याय न मिले तो यह उनके साथ अन्याय ही कहा जाएगा। कहा भी गया है, " justice delayed is justice denied ".

स्वास्थ्य की व्यवस्था का हाल तो और भी बुरा है। गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए तो सरकार की विभिन्न घोषणाओं और योजनाओं के बावजूद उसे अपने इलाज पर आज बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी ही पड़ती है। इस अवधि में उसे मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि लगभग 90% कामगार, श्रमिक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। क्या इसे हम व्यवस्था कह सकते हैं?

यह हमारी व्यवस्था का ही दोष है कि देशवासियों को केवल आंकड़े परोस दिए जाते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश के नागरिक को इन आंकड़ों से कोई लेना-देना नहीं है। उसे तो इससे मतलब है कि उसका काम सरकार में कितना आसानी से होता है एवं क्या वह अपना इलाज निःशुल्क किसी भी अस्पताल में करा सकता है या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है?

यह सर्व विदित सत्य है कि किसी भी शासकीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सबसे आवश्यक है अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें तत्काल, उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए सजा दी जाए। जब ऐसा होता नहीं दिखाई देता है तो अधिकांश कर्मचारी, अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं जिसका खामियाजा एक साधारण नागरिक को ही भुगतना पड़ता है।

जर्जर होती व्यवस्था का बड़ा उदाहरण राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था भी है, जहां के सदस्यों ने पेपर लीक किए और साक्षात्कार में अयोग्य लोगों को अधिक नंबर दिलवाए। यह तो भला हो उच्च न्यायालय का, कि उसने सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया। जो काम सरकार को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, वह उच्च न्यायालय को करना पड़ा। यह दोषपूर्ण व्यवस्था ही है कि लोक सेवा आयोग में सत्य निष्ठा वाले योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति के स्थान पर भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति हुई जिन्होंने व्यवस्था को दीमक की तरह नुकसान पहुंचाने का ही काम किया है।

जवाबदेही निर्धारित न हो पाने का सबसे बड़ा कारण पारदर्शिता की कमी है। सरकार को यह चाहिए कि वह सूचना के अधिकार के कानून को पुनः मजबूत बनाए। जब साधारण नागरिक यह जान पाएगा कि किसी का काम सिफारिश या रिश्वत देकर हो गया और उसका नहीं हुआ, तब वह उसके विरुद्ध आवाज उठा पाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलवाने में सक्षम हो पाएगा।

जब हम व्यवस्था को चुस्त, दुरुस्त और जवाबदेह बना देंगे तो फिर न पुल टूटेंगे न सड़कों में खड्डे पड़ेंगे, न भवन ध्वस्त होंगे और न ही सरकारी धन व्यर्थ होगा।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

प्रमोटरों द्वारा शेयर बेचना: निवेशकों के लिए एक गंभीर चेतावनी

सुनील दत्त गोयल

पिछले कुछ समय से भारतीय शेयर बाजार में एक चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंपनियों के प्रमोटर या तो अपने शेयर गिरवी रख देते हैं या फिर उन्हें बेचकर भारी-भरकम रकम कमा लेते हैं। इन कदमों को 'कंपनी के हित' में बताया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? या फिर यह शेयरधारकों को दिया जाने वाला एक भोंडा बहाना है? आम निवेशक के दिमाग में यह सवाल स्वाभाविक उठता है।

अक्सर, प्रबंधन यह दावा करता है कि कंपनी को पूंजी की जरूरत है, इसलिए प्रमोटर ने अपनी निजी होल्डिंग्स गिरवी रख दीं। एक ऐसी धारणा पैदा की जाती है कि देखो, प्रमोटर कंपनी के लिए कितना वचनबद्ध है कि उसने अपनी निजी संपत्ति तक दांव पर लगा दी। यह कहानी इस तरह से गढ़ी जाती है कि आम निवेशक अच्छा महसूस करे और सवाल पूछना भूल जाए।

लेकिन असली सवाल तो यह है कि आखिर कंपनी इतनी मुश्किल हालात में क्यों पहुंच गई कि उसे प्रमोटर के शेयर गिरवी रखने पड़े? क्या कंपनी के ऑडिटर, स्टॉक एक्सचेंज, या उधारदाताओं को इसकी कोई जानकारी नहीं होती?

और सबसे बड़ा सवाल, आम शेयरधारक कंपनी से यह पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करता कि उसकी कंपनी को पैसों की इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी? असल में, प्रमोटर द्वारा गिरवी रखे गये या बेचे गए शेयरों से जो पैसा आता है, वह अगर कंपनी में डेट के रूप में डाला जाता है, तो कंपनी की बैलेंस शीट पर सिर्फ कर्ज़ का बोझ और बढ़ जाता है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना, देसी भाषा में कहें तो, 'झमन की टोपी मम्मन पर से उतारकर किसी अन्य पर डालने' जैसा है। हाल ही की एक बड़ी घटना ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है।

अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज की एक प्रमोटर, सुनीता रेड्डी ने अपनी 3.36 हिस्सेदारी, जिसकी कीमत लगभग 1489 करोड़ रुपए है, बाजार में बेच दी। इसकी वजह कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए बताई जा रही है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कंपनी कानून (कम्पनीज एक्ट) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक प्रमोटर (जो कि एक सम्बंधित पार्टी है) सीधे तौर पर कंपनी का कर्ज चुका सके। ऐसा संभव ही नहीं है कि श्रीमती रेड्डी ने शेयर बेचे और उस पैसे को सीधे कंपनी के कर्ज दाताओं को दे दिया। तो फिर खेल क्या है? ज्यादातर मामलों में, यही देखने को मिलता है कि प्रमोटर द्वारा शेयर बेचने से जो रकम आती है, उसे कंपनी को एक लोन के रूप में दिया जाता है। फिर इसी लोन के पैसे से कंपनी अपना पुराना कर्ज चुकाती है। मतलब साफ है – एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया गया। बस कर्ज देने वाला अब कोई बाहरी बैंक नहीं, बल्कि खुद प्रमोटर है। इससे कंपनी की वित्तीय हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कर्ज का स्त्रोत बदल जाता है।

अब सवाल यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी इन सब पर क्यों नहीं रोक लगाता? क्या सेबी सो रही है? क्या उसे कंपनीज एक्ट के नियमों की जानकारी नहीं है? जरूर है। शायद तकनीकी तौर पर यह पूरी तरह से रूल्स का उल्लंघन नहीं है, इसलिए सेबी खामोश है। लेकिन सवाल नियमों का नहीं, नैतिकता और पारदर्शिता का है। क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं।

यह ट्रेंड निवेशकों के लिए एक बड़ा खतरा है। हो सकता है कि कोई प्रमोटर बाजार के मौके को देखते हुए धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा हो (निकलने की तैयारी में हो), और 'कंपनी के हित' का झूठा बहाना बना रहा हो। यह एक गंभीर मामला है, जो आने वाले समय में बड़े स्कैम के रूप में सामने आ सकता है।

हमारा मानना है कि सेबी को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। उसे हर उस कंपनी की जांच करनी चाहिए, जिसके प्रमोटरों ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं या हाल में बेचें हैं। यह पता लगाना चाहिए कि शेयर बेचने के पीछे की असली वजह क्या है।

क्या यह वजह उचित और निवेशकों के हित में है? निवेशकों को भी सतर्क होने की जरूरत है। आँख बंद करके भरोसा न करें। कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल पूछें। अपने हक की लड़ाई लड़ें। आखिरकार, शेयर बाजार पूरी तरह से विश्वास (ट्रस्ट) और विश्वसनीयता (क्रेडिबिलिटी) पर ही तो चलता है। अगर यह विश्वास टूटा, तो बाजार का आधार ही हिल जाएगा, जिससे देश की इकोनॉमी को भी गहरा झटका लग सकता है। यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं, लोगों के भरोसे और भविष्य का सवाल है।

धन्यवाद,
–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना : श्रमिकों, रेहड़ी संचालकों और लोक कलाकारों के लिए संबल

मनीष जैन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, रेहड़ी संचालकों और लोक कलाकारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों की श्रृंखला में राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना-2024 लागू की है। यह योजना उन लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक ठोस कदम है, जो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा श्रम और कला के सहारे समाज को देते हैं लेकिन वृद्धावस्था में असुरक्षा का सामना करते हैं।

योजना की विशेषताएं :-यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें 18 वर्ष या अधिक आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, रेहड़ी संचालक और लोक कलाकार 45 वर्ष आयु होने तक अपने आयु वर्ग के अनुसार मासिक अंशदान करेंगे। राज्य सरकार भी उनके बराबर योगदान देगी। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 3000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित रूप से दी जाएगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी यानी वृद्धावस्था में दोहरी सहायता का लाभ मिलेगा।

कौन हैं पात्र :-18 से 45 वर्ष आयु वर्ग का राजस्थान का मूल निवासी होना जिसकी मासिक आय 15000 रुपये से अधिक न हो, केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाएगा। पंजीकरण के समय अपना आधार संख्या और बैंक खाता भी अंकित करना होगा। वह किसी अन्य अंशदायी पेंशन योजना जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में शामिल न हो तथा आयकर दाता न हो।

योगदान और पेंशन निधि :- इस योजना के लिए एक विशेष राज्य पेंशन निधि बनाई गई है जिसमें श्रमिक व कलाकारों का अंशदान और राज्य सरकार का अंशदान जमा होगा। यह राशि निवेश कर पेंशन फंड के रूप में संरक्षित की जाएगी। यदि कोई सदस्य बीच में योजना छोड़ना चाहे या अंशदान बंद कर दे तो उसके योगदान को ब्याज सहित वापस किया जाएगा। 10 वर्ष से अधिक अंशदान करने वाले सदस्य को बैंक ब्याज दर या वास्तविक अर्जित ब्याज, जो भी अधिक हो, उस पर राशि लौटाई जाएगी।

पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था :-यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन प्राप्त करते समय हो जाती है तो उसके पति/पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

विशेष परिस्थिति में लाभ :- यदि कोई सदस्य 60 वर्ष की आयु से पहले स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसका जीवनसाथी योजना में बना रह सकता है या अंशदान का हिस्सा ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है। इस योजना के लिए नोडल विभाग राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग रहेगा और सहयोगी विभाग श्रम विभाग, स्थानीय निकाय, कला एवं संस्कृति विभाग होंगे।

योजना का उद्देश्य :-मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य श्रमिकों और कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना, पथ विक्रेताओं और असंगठित श्रमिकों को समाज की मुख्यधारा में लाना और उनके परिवारों को संबल और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है। यह योजना न केवल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि राजस्थान के श्रमिकों और लोक कलाकारों को यह भरोसा भी दिलाएगी कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। योजना मे पंजीयन एवं अधिक जानकारी के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग कि किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

मनीष जैन, पीआरओ,
नागौर

किसानों ने सड़क बनाने के लिये जमीन दान दी

श्रीगंगानगर, (निसं)। जमीन दान करने का अनूठा मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव सिहागांवाली से कीकरचक के बीच की संपर्क सड़क का कुछ हिस्सा लालगढ़ जाटान सैन्य छावनी क्षेत्र में आ गया। इस कारण आवागमन बंद हो गया था। इस कारण इस रोड से करीब 12 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया था। इन गांवों के लोगों को करीब 15 किलोमीटर अधिक चलकर जिला मुख्यालय आना पड़ रहा था। इस समस्या का समाधान कीकरचक गांव के ही छह किसानों ने अपनी बेशकीमती जमीन को दान करके कर दिया। कीकरचक निवासी अमरजीत सिंह, लखविंद्र सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, बिंद्र सिंह और पूर्व सरपंच हरभव सिंह ने अपनी जमीन में से 20 फीट चौड़ाई में जगह दान करके सड़क बनाने के लिए प्रशासन को समर्पित कर दी है। किसानों की ओर से तहसीलदार सादुलशहर को इस संबंध में लिखकर दे दिया है। अब पटवारी की ओर से उक्त रकबे का नामांतरण रास्ते के नाम किया जा रहा है। इसी के साथ सिहागांवाली से कीकरचक होते हुए रोटांवाली, बाणियांवाली, जोगीवाला, लाधुवाला, 14 एसपीएम, 23 एलएनपी, 23 एलएनपी गणेशगढ़ होते हुए गोलूवाला तक तथा आसपास की सैकड़ों ढाणियों के लोगों को राहत मिली है। जमीन समर्पित करने के साथ ही किसानों ने अस्थायी कच्चा रास्ता निकालकर सीमेंटेड पिलर तथा दोनों तरफ तारबंदी करके रास्ते को समतल कर दिया है। अब इस जगह पर पीडब्यूडी की ओर से डामर रोड बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जल्दी ही यहां पक्की सड़क भी बन जाएगी। जमीन दान करने वाले किसानों को रोटांवाली ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों द्वारा गुरुद्वारा साहिब में गुरुग्रंथ साहिब की हजूरी में सम्मानित किया व सरोपे पहनाए गए।

तेज बारिश से सीसी रोड निर्माण की पोल खुली, ग्रामीण परेशान

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के मांडल कस्बे में हुई तेज बारिश ने सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। विगत एक वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाए गए धोवनी नाड़ी मार्ग पर बने सीसी रोड में बड़ा गल्ला लग गया।

- **ग्राम पंचायत कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया, वहीं ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण कार्य के आरोप लगाए हैं**
- **बारिश से रोड के नीचे की मिट्टी खिसक जाने के कारण मार्ग पर आवागमन रोकना पड़ा, लोगों को हो रही है परेशानी**

बारिश से रोड के नीचे की मिट्टी खिसक जाने के कारण मार्ग पर आवागमन रोकना पड़ा। इससे गामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी मार्ग पर आगे तेजाजी चौक में तीन दिवसीय मेला लगा हुआ है जहां कीर खेड़ा, माली खेड़ा गांवों से लोगों का आना जाना रहता है, जो कि अब नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। वहीं, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण कार्य के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मात्र एक वर्ष में ही सड़क उखड़ जाना जिम्मेदारों की लापरवाही को दर्शाता है। इधर, कल इसी मार्ग से राम रेवड़ियां निकलनी प्रस्तावित है। ऐसे में टूटी सड़क से गुजरना आमजन के लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते विभाग ने मरम्मत नहीं की तो श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की जान पर भी बन सकती है। वहीं मांडल से ब्यावर मार्ग पर भी स्कूल भवन के बाहर सड़क पर करीब एक डेढ़ फीट पानी भरा हुआ है, जिससे छात्रों को आवागमन मुश्किल हो रही है।

पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाए गए धोवनी नाड़ी मार्ग पर बने सीसी रोड के नीचे की मिट्टी खिसक गई।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 2 सितम्बर, 2025

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र रात्रि 9:51 तक, प्रीति योग सायं 4:39 तक, तैतिल करण दिन 3:18 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज कुमार योग रात्रि 9:51 तक है। रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। आज रामदेव जयन्ती और तेजा दशमी है। आज सुगन्ध धूप दशमी, दशावतार और व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:18 से 10:52 तक, लाभ-अमृत 10:52 से 2:01 तक, शुभ 3:35 से 5:09 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:10, सूर्यास्त 6:43

मेष
परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

वृष
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। मित्रों/रिश्तेदारों से मतभेद हो सकते हैं। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
परिवार में रचनात्मक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

कन्या
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे।

धनु
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मकर
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।